दो दिवसीय दौरा

मेड़ता सिटी । मेडता चिकित्सा ब्लॉक के अधीन आने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खाखड़की तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गगराना के गुणवत्ता आश्वासन कार्यकम के तहत राज्य स्तरीय चिकित्सा मेडिकल टीम (एनक्वास) दो दिवसीय मेड़ता दौरे पर रही। राज्य स्तरीय टीम के डॉ सोनिका शर्मा तथा प्रियंका कंवर ने निरीक्षण कर चिकित्सालय की तमाम व्यवस्थाओं तथा साफ सगाई सहित सरकार की योजनाओं का तथा गुणवत्ता का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉ सोनिका शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक का एक माप दंड हे जिसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खाखड़की तथा गगराना का निरीक्षण किया गया । इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओ पर प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उससे बढ़ावा देना। इसको लेकर खाखड़की तथा गगराना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर नागौर जिला टीम के सुनील कुमार बुगालिया, रविन्द्र सिंह , सुनील आचार्य , खाखड़की चिकित्सा प्रभारी डॉ भूपेंद्र रिया , इंडवाड व गगराना चिकित्सा प्रभारी डॉ अल्का चौधरी , जसनगर चिकित्सा प्रभारी डॉ उषा सैनी , किरण , ओमप्रकाश , गोविंद , श्री कांत स्वामी , सुनील , सहित स्टाफ मौजूद थे।

विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक सम्पन्न

भीलवाड़ा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2011 के अन्तर्गत आज जिला एवं सेशन न्यायाधीश के अवकाशागार में नियुक्त सदस्यगण की मीटिंग अध्यक्ष अभय जैन, जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्राधिकरण के सचिव अपर सेशन न्यायाधीश विशाल भार्गव ने बताया कि आज की बैठक में पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2011 के लम्बित कुल 65 आवेदन पत्रों का कमेटी द्वारा विचार विमर्श किया गया। बैठक में विकास कुमार खण्डेलवाल, न्यायाधीश मोटर दुर्घटना एवं दावा अधिकरण सं. 01 , शंकर लाल मारू, पारिवारिक न्यायालय संख्या-01 , श्रीमती प्रतिभा देवठिया, अति. जिला कलेक्टर, शहर भीलवाडा , नगेन्द्र सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजेश शर्मा, अध्यक्ष बार संघ, रघुनन्दन सिंह कानावत, राजकीय अभियोजक सम्मिलित थे।

नाम परिवर्तन

मैंने यानि AKEEL MOHAMMAD ने अपना नाम बदलकर AKIL MOHAMMAD रख लिया है। भविष्य में सभी उद्देश्यार्थ मुझे नए नाम से जाना पहचाना जावे। AKIL MOHAMMAD WARD NO w, BEHIND, LOHAR COLONY, KISHANGARH (AJMER)

NAME CHANGE

I, Krishn Gopal Singh Father's of Army No. 18018356L, SPR, Saurabh Singh, R/o Richha, Bhuta, Faridpur Bareilly, U.P.243126 have change my name from Krishan Gopal to Krishn Gopal Singh before court campus Nasirabad

NAME CHANGE

I, Yogesh Kumari Spouse's of Army No.18018903P, SPR, Pradeep Singh, R/o Sultanpur, Khurja jn, Bulandshahar, U.P. 203132 have change my name from Yogesh to Yogesh Kumari before court campus Nasirabad

आम सूचना

मेरे चाचा बुन्दू अली पुत्र मांगू अली जाति मुसलमान निवासी व्यापारी मोहल्ला मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर का स्वर्गवास (नाऔलाद) अवस्था में दिनांक 2 मई 1995 को मेरे निवास स्थान पर हो गया, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में आवेदन किया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो मय दस्तावेज 7 दिवस में तहसीलदार कार्यालय में संपर्क करे।

प्रार्थी-मोहम्मद सलीम पुत्र रमजान (मृतक का भतीजा)

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

लोक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री पंकज शर्मा पुत्र श्रीनिवास शर्मा निवासी 94/64 शिव के पीछे पुलिस लाइंस, अजमेर राजस्व ग्राम लोहागल, तहसील अजमेर के खसरा नंबर 1068 नया 1000 पुराना, प्लॉट नंबर क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज के भूखंड की पत्रवाली नियमन हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमन के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर 7 दिवस की आपत्ति आमंत्रित की जाती है। अतः किसी भी हितबद्धकारी को इस नियमन के सम्बन्ध में आपत्ति हो तो आम सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा नियमन की कार्यवाही कर दी जायेगी।

(उपायुक्त उत्तर)
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

लोक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री किरण कंवर पत्नी राम सिंह ग्राम कायड़, तहसील अजमेर के वर्किंग खसरा नंबर 3034, प्लाट नंबर 24 में क्षेत्रफल 323.99 वर्गमीटर के भूखंड की पत्रावली नियमन हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमन के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर 7 दिवस की आपत्ति आमंत्रित की जाती है। अतः किसी भी हितबद्धकारी को इस नियमन के सम्बन्ध में आपत्ति हो तो आम सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा नियमन कार्यवाही कर दी जायेगी।

(उपायुक्त उत्तर)
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मदनगंज किशनगढ़ में लव जिहाद के खिलाफ वाहन रैली निकाली

मदनगंज किशनगढ़, (निस)। सनातन परिवार की महिला सदस्यों के नेतृत्व में लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग को

■ **रैली के बाद सनातन परिवार की सदस्यों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा**

लेकर डाक बंगले से वाहन रैली निकाली गई। मुख्य मार्गो से होती हुई रैली उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पहुंची जहां एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया की विधर्मियों द्वारा स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली हिंदू लड़कियों को षडयंत्र पूर्वक फंसाकर दुराचार, योन शोषण व ब्लैकमेल किया जा रहा है।बिजयनगर व भीलवाड़ा में घटना घटित होने के बाद प्रशासन स्कूल कॉलेज में विशेष सुरक्षा व्यवस्था करे, ताकि बेटियां सुरक्षित रह सके।अनेक भाजपा शासित राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बना दिये है, किंतु राजस्थान में यह कानून नहीं होने के कारण विधर्मियों के हौसले बुलंद हैं। महिला सदस्य लीना सरस्वती, माया सेन, निर्मला वैष्णव, ममता कंवर, शिमला कुमावत, सोनू अठावाल, रेनू प्रजापत ने अपने विचार व्यक्त किये।

तत्पश्चात द्वारका से मथुरा तक कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति हेतु चल रही रथ यात्रा का मुख्य चौराहे पर सनातन परिवार सदस्य श्यामसुंदर वैष्णव, नेमीचंद जोशी, शंभू शर्मा, दिनेश सेन, लक्ष्मीनारायण सोनगरा, पवन जोशी राजेंद्र कर्णावट, संतोष सिंह व विष्णु दत शर्मा ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।

लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग को लेकर वाहन रैली निकाली गई।

सर्वधर्म समिति ने मनाया फाग महोत्सव

अजमेर, (कासं)। सर्वधर्म समिति व जन सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार होली स्नेह मिलन और फॉग महोत्सव मनाया गया। संयोजिका सोनिया टहलवानी ने बताया कि 5 सदस्य टीम की रितु

■ **11 महिलाओं को किया सम्मानित, फूलों से खेली होली**

माखीजानी और सतनाम छाबडा द्वारा 11 महिलाओं को ताज पहनाकर और मोतियो की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम रामगंज शहीद भगत सिंह मार्ग स्थित सिकसेम निःशुल्क मानवता सेवा केन्द्र में आयोजित हुआ। सर्वधर्म प्रतिनिधियों ने समिति के मोहम्मद उमर खान, सर्वधर्म समिति के रमेश लालवानी, सतनाम छाबडा, सरदार जगजीत सिंह छाबडा, रितु माखीजानी, घनश्याम माखीजानी ने पुष्प वर्षा करके सबको होली के पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सम्मानित होने वालों में राजकुमारी महावर, सुश्री पुष्पा रावत, पूनम गुर्जर, दिव्या शर्मा, नीतू बंसल, उमर खान और रमेश लालवानी रहे।

वैष्णव महिला मंडल ने फागोत्सव मनाया

मदनगंज किशनगढ़,(निस)। वैष्णव महिला मंडल की और होली पावन अवसर पर फागोत्सव मनाया। पुराना शहर स्थित नरसिंह द्वारा में मंडल अध्यक्ष आशा वैष्णव की अध्यक्षता में आयोजित फागोत्स्व के दौरान भगवान राधाकृष्ण की तस्वीर के समक्ष पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत शुभारंभ किया। मंडल महिलाओ ने राधाकृष्ण संग सतरंगी रगं अबीर, गुलाल, गेंदा, जुही, चम्पा चमेली व गुलाब फूल से होली खेल शुभकामनाएं दी।

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.), अजमेर

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री रमीज रजा पुत्र रजा मौहम्मद निवासी गगवाना ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने बडे पिताजी फयाज मौहम्मद खां पुत्र जरदार खां एवं उनकी पत्नि अशरफ खातून की मृत्यु क्रमशः 06.12.2010 एवं 08.01.2022 को होने एवं उनके कोई सन्तान नहीं होने से श्रीमती अशरफ खातून द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 27.09.2021 को प्रार्थी श्री रमीज रजा पुत्र रजा मौहम्मद के पक्ष में सम्पादित वसीयत जिसके अन्तिम पृष्ठ पर अन्य कोई भी भूमि अर्थात कृषि भूमि या जो भी चल अचल सम्पत्ति कहीं पर भी हुई या निकली तो उस पर भी वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् मालिकाना अधिकार उक्त श्री रमीज रजा खान का ही होगा का उल्लेख है के आधार पर प्रार्थी ने ग्राम गगवाना में स्थित संलग्न जमाबन्दी अनुसार ग्राम गगवाना के खसरा नम्बर 1169 रकबा 0.20 हैक्ट, हिस्सा 5/37 में कृषि भूमि पर वसीयत गृहीता के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का निवेदन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त वसीयतनामें के अनुसार नामान्तरकरण किये जाने के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति / संस्था को आपत्ति हो तो विवरण सहित इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर कार्य दिवस एवं कार्यालय समय में स्वयं उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद गुजरने पर कोई आपत्तिग्रहण नहीं की जावेगी तथा विधि सम्मत आदेश पारित कर दिया जायेगा। सूचित रहे।

तहसीलदार, अजमेर

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक: न.प.कि/कृषि भूमि नियमन/2025/781 दिनांक-10-3-25

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में राजस्व ग्राम फरासिया के खसरा 118/1,118/1/1, 118 / 2 / 2 में भूखण्ड संख्या 13 का संयुक्त क्षेत्रफल 1079.32 वर्गगज का आवासीय पट्टा चाहनें हेतु कृषि भूमि नियमन के तहत् आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदित भूखण्ड नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपतियां / मय साक्ष्य / विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें।

क्रसं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं. व क्षेत्रफल	प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन
1.	1. श्रीमति संध्या ऐहलानी पत्नी श्री नरेन्द्र ऐहलानी निवासी:- राजारेडी लिंक रोड मदनगंज किशनगढ जिला	मदनगंज 118/1,118/1/1, 118/2/2 में भूखण्ड संख्या 13	आवासीय पट्टा चाहनें हेतु

आयुक्त नगर परिषद किशगनढ

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक: न.प.कि/कृषि भूमि नियमन/2025/787 दिनांक-10-3-25

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में राजस्व ग्राम फरासिया के खसरा 118 / 2/2 में भूखण्ड संख्या 12 का संयुक्त क्षेत्रफल 1091.11 वर्गगज का आवासीय पट्टा चाहनें हेतु कृषि भूमि नियमन के तह त् आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदित भूखण्ड नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/ संस्था को कोई आपति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपतियां / मय साक्ष्य / विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें।

क्रसं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं.व क्षेत्रफल	प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन
1.	1. श्री संजय बाफना पुत्र श्री नेमीचंद बाफना 2. राजेश बाफना पुत्र श्री नेमीचंद व 3. श्रीमति आरती जैन पत्नी श्री रूपेश जैन निवासी कासलीवाल भवन, जैन कॉलोनी मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राज0	मदनगंज 118 / 2 / 2 भूखण्ड संख्या 12 (कृष्णा विहार कॉलोनी) नाप 1091, 11 वर्गगज	आवासीय पट्टा चाहनें हेतु

आयुक्त नगर परिषद किशगनढ

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक: न.प.कि/कृषि भूमि नियमन/2025/784 दिनांक-10-3-25

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में निम्न भूखण्ड का वितरण राजस्व ग्राम फरासिया के खसरा नम्बर 118/1 व 118/1/1 में से विखण्डित भूखण्ड संख्या 01 क्षेत्रफल 311.11 वर्गगज भूखण्ड संख्या 01 ए क्षेत्रफल 233.33 वर्गगज, भूखण्ड संख्या 01 बी क्षेत्रफल 233. 33 वर्गगज, भूखण्ड संख्या 01 सी क्षेत्रफल 239.15 वर्गगज, भूखण्ड संख्या 06 क्षेत्रफल 311.11 वर्गगज भूखण्ड संख्या 06 ए क्षेत्रफल 233.33 वर्गगज भूखण्ड संख्या 06 बी क्षेत्रफल 233.33 वर्गगज व भूखण्ड संख्या 06 सी क्षेत्रफल 200.27 वर्गगज इस प्रकार कुल 08 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 1994.47 वर्गगज भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा चाहनें हेतु कृषि भूमि नियमन प्रकरण विचाराधीन है। अतः निम्न खसरा नम्बर के भूखण्ड नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपतियां / कारण/विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें।

क्रसं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं.	क्षेत्रफल/रकबा भूखण्ड संख्या	प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन
1.	श्री विनोद एच0यू0एफ जरिये कर्ता विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री माधोबिहारी अग्रवाल निवासी बनी पार्क जयपुर जिला जयपुर	फरासिया 118/1 व 118/1/1	1994.47 वर्गमीटर	आवासीय प्रयोजनार्थ

आयुक्त नगर परिषद किशगनढ

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ (अजमेर) राज.

क्रमांक: न.प.कि./PWC/BPAS-2308/2025/269 **आम सूचना** दिनांक: 10/03/25

सर्व साधारण सूचित किया जाता है कि श्री भागचन्द सैन पुत्र स्व. श्री रोड मल सैन राजस्व ग्राम किशनगढ बी, खसरा संख्या 760, 761 के भूखण्ड सं. क्षेत्रफल 151.46 वर्गगज मिर्जा बावडी रोड शास्त्री नगर मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान पर आवासीय निर्माण स्वीकृति चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है-

पूर्व में : रास्ता 12.0 फीट का — पश्चिम में : श्री गोपाल यादव का मकान

उत्तर में : श्री गोपीलाल सैन का मकान — दक्षिण में : श्री कन्हैयालाल का मकान

अतः उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति/एतराज हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पेश करे बाद मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। -प्रभारी (भवन निर्माण स्वीकृति) नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक: योजना/2024-25/632 दिनांक: 11-03-25

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमति सोदामनी परिहार पत्नी श्री नारायण परिहार निवासी 9 राधास्वामी के पास यू.आई.टी. कॉलोनी भगवानगंज, अजमेर के द्वारा नगर निगम की भगवानगंज (डबल स्टोरी) आवासीय योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या 8 क्षेत्रफल 88 वर्गगज को अपने नाम से नामान्तरण करवाये जाने बाबत दस्तावेज संलग्न कर आवेदन सं. LSG/AJMER/MUT/2023-24 / 123151 दिनांक 05.03.2025 को नामान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त भूखण्ड मूल आवंटी श्रीमति शान्ता देवी धरोड़ पत्नी परमानन्द धरोड़ के नाम से दर्ज है जिसका आदेश क्रमांक 1043 दिनांक 17.09.2013 संलग्न किया गया है। श्री परमानन्द धरोड़ का स्वर्गवास दिनांक 05.12.1998 एवं श्रीमति शान्ता देवी का स्वर्गवास दिनांक 05.06.2018 को हो चुका है। सजरा प्रमाण पत्र के आधार पर श्री दीपक धरोड़ (पुत्र), श्री विजय धरोड (पुत्र), श्री आनन्द धरोड़ (पुत्र) श्रीमती रजनी धरोड़ (पुत्री), श्रीमती सोदामनी (पुत्री), विधिक वारिस है। उपरोक्त वारिसों ने जरिये पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 11.06.2024 द्वारा अपने सहहिस्सेदार श्रीमति सोदामनी परिहार पत्नी श्री नारायण परिहार के पक्ष में हकत्याग पत्र निष्पादित किया गया है। उक्त प्रकरण का निष्पादन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 116 के तहत आवेदित है जिसका निष्पादन धारा 118 के तहत प्रक्रियाधीन किया गया है। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आपत्ति प्रकाशन से 07 कार्य दिवस के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को नगर निगम कार्यालय की योजना शाखा में देखने / पढने के लिए खुला रखा गया है इ स अवधि में किसी भी हितबद्ध व्यक्ति / आम खास को कोई आपत्ति उज हो तो सूचना के प्रकाशन से 07 कार्य दिवस में भय पुख्ता दस्तावेजों के साथ अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है बाद मियाद नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा।

उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डलः अजमेर

क्रमांक: 1431 दिनांक: 15-01-2025

जाहिर आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 3/7-के, नाका मदार, अजमेर क्षेत्रफल 42.187 वर्ग मीटर मूल आवंटी श्रीमती कला पत्नि श्री नारायण दास को आवंटित कर दिनांक 13.12.1989 को मकान का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्रीमती कला पत्नि श्री नारायण दास द्वारा आवास का बेचान जरिये इकरारनामा मुख्त्यारनामा के श्री जयसिंह चौहान पुत्र श्री कंचनपाल चौहान को कर दिया गया। मण्डल द्वारा दिनांक 14.06.2010 को श्री जयसिंह चौहान पुत्र श्री कंचनपाल चौहान के पक्ष में नियमितिकरण एंव अदेय प्रमाण पत्र के आदेश जारी किये गये। श्री जयसिंह चौहान पुत्र श्री कंचनपाल चौहान की मृत्यु दिनांक 19.12.2017 को हो जाने के कारण उनकी पत्नि श्रीमती रेखा चौहान पत्नि स्व. श्री जयसिंह चौहान द्वारा मृत्यु पश्चात् आवास हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। श्रीमती रेखा चौहान पत्नि स्व. श्री जयसिंह चौहान के पक्ष में सुश्री खुशी चौहान पुत्री स्व. श्री जयसिंह चौहान एवं श्री धर्मवीर सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री जयसिंह चौहान द्वारा रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र प्रस्तुत किया गया है। अब श्रीमती रेखा चौहान पत्नि स्व. श्री जयसिंह चौहान ने उक्त आवास से संबंधित मृत्यु हस्तान्तरण प्रपत्र प्रस्तुत कर स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। श्रीमती रेखा चौहान पत्नि स्व. श्री जयसिंह चौहान का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड-अजमेर

कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज.

गांधी उद्यान-ब्यावर रोड, बिजयनगर

टेलीफोन नम्बर - 01462-230051 ई-मेलः- npvijaynagar@gmail.com

क्रमांक/नपाबि./भूमि/2025/55889 **आपत्ति सूचना** दिनांक: 5/3/2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पालिका/पैराफेरी क्षेत्र में निम्न आवेदक द्वारा अपने भूखण्डों/मकानों के पास स्थित अधिक/खांचा भूमि के नियमन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति सूचना जारी होने की तिथि से 7 योग में नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। समय उपरान्त प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

क्र.सं.	नाम आवेदक	क्षेत्र	क्षेत्रफल
1.	(1) मीना पत्नी सत्यनारायण (2) सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल	हनुमान हाउसिंग कॉलोनी के ब्लॉक नम्बर 10/1023 में भूखण्ड संख्या 43 के पश्चिमी दिशा की ओर स्थित खांचा भूमि।	12.22 वर्गगज

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांक -न.प.बि/निर्माण.स्वी./2024/6005 **आम सूचना** दिनांक : 11.3.2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान निर्माण हेतु निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपत्ति/उज्र हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है, बाद मियाद, गुजरने पर कोई उज्र / आपत्ति मान्य नहीं होगी।

भवन निर्माण

फाइल नं.	आवेदक नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	प्रयोजनार्थ
334	1. प्रेमचन्द सेन पुत्र रतनलाल सेन 2. बालचन्द पुत्र सुगनचन्द डूंगरवाल	अभय रेजीडेन्सी बरल द्वितीय बिजयनगर ख.सं. 2446/2059 भू.सं. 06	84.47 SQ.MTR	आवासीय
335	1. प्रेमचन्द सेन पुत्र रतनलाल सेन 2. बालचन्द पुत्र सुगनचन्द डूंगरवाल	अभय रेजीडेन्सी बरल द्वितीय बिजयनगर ख.सं. 2446/2059 भू.सं. 05	95.50 SQ.MTR	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांक -न.प.बि/निर्माण.स्वी./2024/6014 **आम सूचना** दिनांक : 11.3.2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान निर्माण हेतु निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपत्ति/उज्र हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है, बाद मियाद, गुजरने पर कोई उज्र / आपत्ति मान्य नहीं होगी।

भवन निर्माण

फाइल नं.	आवेदक नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	प्रयोजनार्थ
338	जयंतकुमार पुत्र देबीलाल गोस्वामी	चैतन्य विहार बिजयनगर ख. सं. 239, 243, 361, 364, 369, 370, 371 भू.सं. 42	139.86 SQ.MTR	आवासीय
339	पदमसिंह मुणोत पुत्र कान्तिलाल मुणोत	वर्धमान सागर बरल द्वितीय बिजयनगर ख.सं. 1206, 1207, 1208 भू.सं. 78	96.61 SQ.MTR	आवासीय
340	निहालचन्द मुणोत पुत्र कान्तिलाल मुणोत	वर्धमान सागर बरल द्वितीय बिजयनगर ख. सं. 2561/1184 व 2604/2560 भू.सं. 15 का उत्तरी हिस्सा प्रा.नं. 15-ए	73.15 SQ.MTR	आवासीय
341	सहजाद खान पुत्र अजीज मोहम्मद	इन्दिरानगर बिजयनगर ब्लॉक नं. डी भू.सं. 44 का पूर्वी हिस्सा	92.90 SQ.MTR	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

अजमेर में बच्चों संग मनाई होली

अजमेर, (कासं)। होली को लेकर शहर में उत्सव का दौर शुरू हो गया है । आज राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान सोमलपुर, दौराई, तबीजी, हाथीखेड़ा, घुघरा समित 16 क्षेत्र जिसमें झुग्गी झोपड़ी में जीवन यापन करने वाले बच्चो के साथ होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। जिसमें सभी बच्चों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली मनाई कार्यक्रम में लगभग 350 बच्चों को पिचकारी, गुलाल, मिठाई वितरण किए गए जिससे बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे।

■ **सभी बच्चों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली मनाई कार्यक्रम में लगभग 350 बच्चों**

■ **कार्यक्रम से बच्चो की बीच भाईचारा की भावना बढ़ेगी**

संस्था के कार्यकारी अधिकारी डॉ एस एन शर्मा ने बताया की इस तरह के कार्यक्रम से बच्चो की बीच भाईचारा की भावना बढ़ेगी बच्चो में नई ऊर्जा का विकास होगा इस तरह के कार्यक्रम संस्था हर साल आयोजित करती है इस कार्यक्रम के लिए तबीजी सरपंच राजेंद्र गेना ने संस्था के कार्य की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। संस्था प्रतिनिधि जितेंद्र मेघवंशी, तोताराम उदयवाल मनोरमा सैन, सुरभि कालोसिया, सुमन मेघवंशी और शुभम सैन का पूर्ण योगदान रहा।

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता गतिविधियां

नागौर । प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान को लेकर नागौर जिले में गांव-ढाणी तक प्रचार-प्रसार किया जा रहा हैं। इसके तहत राज्य सरकार के निर्देशानुसार टी.बी.मुक्त ग्राम पंचायत अभियान संचालित किया जा रहा है, जो आगामी 24 मार्च तक संचालित किया जाएगा।

जिला कलक्टर अरूण कुमार पुरोहित एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जुगल किशोर सैनी के मार्गदर्शन में नागौर जिले में संचालित किए जा रहे टी.बी. मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों व गणमान्यजनों को जोड़ा जा रहा है। इसी के तहत नागौर जिला मुख्यालय पर अपना संस्थान एवं नगर परिषद नागौर की ओर से आयोजित तीन दिवसीय हरित संगम मेला में भी टी.बी. मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। यहां हरित संगम मेला में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभागीय योजनाओं एवं टी.बी. मुक्त अभियान की आईईसी प्रदर्शनी लगाई गई। हरित संगम मेला के पहले दिन जहां राज्य के शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आईईसी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहां उन्होंने हरित संगम मेला के मुख्य समारोह स्थल पर प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान के तहत क्षय रोगियों को निक्षय पोषण किट वितरित किए। इस दौरान जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. श्रवण राव व डॉ. विक्रम बाजिया भी मौजूद रहे। ठीक इसी प्रकार हरित संगम मेला के तीसरे व अंतिम दिन पद्मश्री हिम्मताराम भांभू ने क्षय रोगियों को निक्षय पोषण किट वितरित किए। उन्होंने इस दौरान क्षय रोगियों की पहचान और उपचार तथा उन्हें निक्षय पोषण योजना का समुचित लाभ दिए जाने की जानकारी जिला क्षय रोग अधिकारी से ली। पद्मश्री भांभू ने कहा कि भारत को टी.बी. मुक्त देश बनाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे।

2025 तक टीबी मुक्त अजमेर का लक्ष्य

अजमेर, (कासं)। केंद्र सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मंगलवार को अजमेर जिले में जागरूकता रैली का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर लोग बंधु ने जागरुता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का मुख्य उद्देश्य जिले को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाना और लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है। रैली जिला कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुई और सावित्री तिराहे से होते हुए स्वास्थ्य संकुल भवन पर समाप्त हुई। रैली में स्वास्थ्य कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को टीबी के लक्षण, बचाव और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।

■ **जागरूकता रैली को कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी**

जिला कलेक्टर लोग बंधु ने बताया कि अजमेर जिले को 2025 तक टीबी मुक्त जिला घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिले की कई ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से टीबी मुक्त किया जाएगा। सरकार की गाइडलाइन के तहत जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें टीबी रोगियों की पहचान, समय पर उपचार और समुदाय को इस बीमारी के प्रति संवेदनशील बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से मरीजों की जांच कर मुफ्त उपचार दिया जा रहा है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत न केवल शहरी क्षेत्रों बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित रूप से स्क्रीनिंग कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे टीबी के नए मामलों की पहचान कर उन्हें उपचार दिया जा रहा है।

कमेटी से जांच की मांग

अजमेर, (कासं)। आम आदमी पार्टी अजमेर द्वारा जिला कलेक्टर लोक बंधु को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम मंगलवार को मांग पत्र सौंपकर अजमेर में स्मार्ट सिटी के नाम पर हुई करोड़ों की धांधली और अवैध निर्माण पर उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की। आप की प्रदेश उपाध्यक्ष कीर्ति पाठक ने सर्वोच्च न्यायालय व स्थानीय जागरुक नागरिकों को साधुवाद किया, जिन्होंने बिना दबाव में आए अजमेर के हित की बात विभिन्न प्लेटफार्म पर रखी और अंततः उनकी जीत हुई। पाठक ने कहा कि अजमेर के अस्तित्व की लड़ाई में शामिल हर व्यक्ति को आम आदमी पार्टी द्वारा पूर्ण समर्थन की बात दोहराई। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए स्मार्ट सिटी अजमेर के नाम पर फर्जीवाड़े और वित्तीय अनियमितताओं पर उच्च स्तरीय जांच समिति गठन कर करोड़ों के घोटालों का पर्दाफाश किया जाए ।

त्योंहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए दिशा निर्देश

अजमेर, (कासं)। आगामी त्यौहारों के मद्देनजर मंगलवार को अजमेर रेंज डीआईजी ओम प्रकाश ने रेंज स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस अधिकारियों व एफएसएल अधिकारियों से संवाद किया और रेंजी की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए।

■ **अजमेर रेंज डीआईजी ओम प्रकाश ने पुलिस अधिकारी एवं एफएसएल अधिकारियों के साथ रेंज स्तरीय वीडियो से संवाद**

अजमेर रेंज डीआईजी ओम प्रकाश ने पुलिस अधिकारी एवं एफएसएल अधिकारियों के साथ रेंज स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। इस संवाद में अजमेर रेंज के अजमेर, ब्यावर, डीडवाना कुचामन, नागौर, टोंक के जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकए उप अधीक्षक पुलिस, थानाधिकारी एवं राजवीर सिंह अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला अजमेर के साथ एफएसएल से संबंधित जांचों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

दुरुस्त हो एफएसएल जांच व्यवस्थाएं: डीआईजी ओम प्रकाश ने अजमेर रेंज के जिलों में एफएसएल जांच को लेकर आ रही समस्याओं की जानकारी ली। अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला अजमेर द्वारा सैम्पल लेने के तरीकों के बारे में अवगत करवाया गया तथा एफएसएल जांचों के संबंध में आ रही समस्याओं के निवारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज द्वारा आगामी होली के त्यौहार सहित अन्य त्योंहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु रेंज के सभी पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

याचिकाकर्ता पूर्व सभापति शेखावत ने कहा सेवन वंडर के निर्माण की स्वीकृति देने वाले अधिकारियों से वसूले राशि

अजमेर, । अजमेर की ऐतिहासिक आनासागर झील के किनारे बने सेवन वंडर और फूड कोर्ट को एनजीटी के आदेश के बाद अब अजमेर प्रशासन द्वारा तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, एनजीटी ने करीब एक साल पहले झील के किनारे हुए निर्माणों के खिलाफ अजमेर प्रशासन को हटाने के आदेश जारी किए थे, लेकिन अजमेर प्रशासन की उदासीनता के चलते अभी तक कार्यवाही नही हुई थी। इसके बाद पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, अब सुप्रीम कोर्ट में 17 मार्च को सुनवाई होनी है, इससे पहले अब सेवन वंडर और फूड कोर्ट को हटाने की कार्यवाही शुरू की है। सोमवार शाम को अचानक पहले तो सेवन वंडर पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया और फिर देर शाम जेसीबी और क्रेन की मदद से मूर्तियो को हटाने का काम शुरू हुआ जो मंगलवार को भी जारी रहा।

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नगर निगम के पूर्व सभापति सभापति सुरेन्द्र सिंह शेखावत ने भी अपना पक्ष रखा। शेखावत ने ही इस मामले में सबसे पहले एनजीटी में वाद दायर किया था। एनजीटी में उनकी ओर से दायर याचिका पर 21 दिसंबर 2022 को निर्णय आया था। तब तक सेवन वंडर का निर्माण नहीं हुआ था और पाथ वे का निर्माण चल रहा था। एनजीटी ने निर्णय में कहा था कि वेटलैंड निर्माण नहीं किया जाए। इस संबंध में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तत्कालीन सीईओ और एसीईओ को नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से वेट लैंड पर निर्माण कार्य जारी रखा। इसका नतीजा अब 120 करोड रुपए के नुकसान के रूप में सामने आया है।

स्टैच्यु को क्रेन की मदद से हटाते हुए कर्मचारी।

शेखावत ने कहा कि यह पैसा आम जनता की कमाई का पैसा है, जिन अधिकारियों की वजह से यह बर्बाद हुआ है। उनसे इसकी वसूलीं की जानी चाहिए। यही नहीं अधिकारियों ने अदालत को भी यह कहकर बहलाने का प्रयास किया कि सेवन वंडर से शहर की खूबसूरती बढ़ेगी, लेकिन अदालत ने इन सब तर्कों को दरकिनार कर वेट लैंड में हुए निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया। इस मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत को 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसी के तहत सीएस के आदेशों के बाद अब सोमवार से वेटलैंड में हुए निर्माण को तोड़ा जा रहा है। लव कुश उद्यान के पीछे बने फूड कोर्ट को ध्वस्त किया जा रहा है। सेवन वंडर में अधिकारियों ने एक प्रतिमा को शिफ्ट करके बचने का प्रयास किया है। शेखावत ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड के फंड का दुरुपयोग कर सागर झील का दायरा छोटा कर दिया गया। इसी का नतीजा है कि हर साल अब बरसात में शहर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लिंक रोड बरसात के दौरान पूरी तरह डूब जाता है। आनासागर झील के आसपास के इलाकों में पानी भर जाता है। उन्होंने कहा जिन अधिकारियों ने वेटलैंड में नियम विरुद्ध निर्माण कार्य कराए। उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। सुरेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि आजाद पार्क में स्पोर्ट कॉम्लेक्स और दुकानों का निर्माण कर लिया। जबकि एक सामान्य आदमी अपने मकान या दुकान का नक्शा दुकान का निर्माण करता है तो पहले उसे नक्शा पास कराना पड़ता है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड में किसी भी बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं कराया गया। मनमर्जी से निर्माण कार्य किए गए। इन अधिकारियों पर सख्त कार्वाई की जानी चाहिए। कांग्रेस युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि अजेमर जिला प्रशासन द्वारा सेवन वंडर को इतनी आनन फानन में तोड़ा जाना समझ से परे है, प्रशासन द्वारा इतनी तत्परता विकास के किसी भी कार्य में देखने को नहीं मिली, ऐसा प्रतीत होता है कि सेवन वंडर्स के निर्माण से लेकर तोड़ने तक किसी बड़े अधिकारियों पर गाज गिरने की आशंका है, इसलिए मध्य रात्रि में गेट पर तला लगा कर चोरी छुपे सेवन वंडर्स को क्रेन व जेसीबी द्वारा तोड़ा जा रहा है।

दोषी अधिकारियों के खिलाफ रोष प्रकट करते उच्च स्तरीय जांच की मांग की जब सेवन वंडर का निर्माण हो रहा था तब एन जी टी कोर्ट की शरण में क्यों नहीं गए, सेवन वंडर का निर्माण एक ही दिन में तो पूर्ण नहीं हुआ, सेवन वंडर को बनने में काफी साल लगे, इन सब से ये प्रतीत होता है कि इस पूरे खेल में बड़े अधिकारी व नेताओं की मिली भगति की बु नजर आता है। युवा कांग्रेस ने जब मौके पर मौजूद उच्च अधिकारों से बात करना चाह तो मुख्य द्वार पर ताला लगा पुलिस द्वारा युवा कांग्रेस को अंदर जाने नहीं दिया इस से प्रतीत होता है कि प्रशासन के काले हाथ भी इस कृत्य में शामिल है, हम जिला प्रशासन से मांग करते है कि जिन भी अधिकारियों के सेवन वंडर निर्माण की स्वीकृति देने में हस्ताक्षर है उन सभी की सैलरी में से सेवन वंडर की पूरी निर्माण राशी वसूल करने साथ ही दोषियों के खिलाफ विभागीय जांच करते हुए जो लिप्त पाए जाते है उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए।